



## मानव तस्करी (रोकथाम, सुरक्षा और पुनर्वास) अधियक, 2018 को मंजूरी

### चर्चा में क्यों?

- हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मानव तस्करी (Human Trafficking) की रोकथाम और इसके पीड़ितों हेतु सुरक्षा एवं पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित मानव तस्करी (रोकथाम, सुरक्षा और पुनर्वास) अधियक, 2018 को लोकसभा में पेश करने की स्वीकृति दी है।
- यह अधियक अत्यंत कमजोर व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों को, प्रभावित करने वाले घृणित और अदृश्य अपराधों से निपटने का समाधान प्रदान करता है।

### पृष्ठभूमि

- मानव तस्करी बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाला तीसरा सबसे बड़ा संगठित अपराध है कति इस अपराध से निपटने के लिये अभी तक कोई विशिष्ट कानून नहीं है।
- इसको देखते हुए मानव तस्करी (रोकथाम, सुरक्षा तथा पुनर्वास) अधियक, 2018 तैयार किया गया है।
- तस्करी एक वैश्विक चिंता है और अनेक दक्षिण एशियाई देश इससे प्रभावित हैं।
- प्रस्तावित कानून भारत को तस्करी से मुकाबला करने में दक्षिण एशियाई देशों का नेतृत्वकर्ता बनाएगा। इन देशों में भारत व्यापक अधियक तैयार करने वाला अग्रणी देश है।
- यह अधियक मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, स्वयंसेवी संगठनों तथा इस क्षेत्र के विशेषज्ञों से परामर्श करके तैयार किया गया है।
- इस अधियक में महिला और बाल विकास मंत्रालय को प्राप्त सैंकड़ों याचिकाओं में दिये गए सुझावों को बड़ी संख्या में शामिल किया गया है। 60 से अधिक स्वयंसेवी संगठनों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ क्षेत्रीय परामर्श दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में किया गया। अधियक का मंत्रियों के समूह द्वारा भी अध्ययन किया गया है।

### अधियक की प्रमुख विशेषताएँ

#### मानव तस्करी की वस्तु परभाषा

- तस्करी के गंभीर रूपों में जबरदस्ती मजदूरी कराना, भीख मंगवाना, समय से पहले यौन परिपक्वता के लिये किसी व्यक्तिको रासायनिक पदार्थ या हार्मोन देना, विवाह के लिये या विवाह के बहाने से या विवाह के बाद महिलाओं और बच्चों की तस्करी शामिल है।
- मानव तस्करी को बढ़ावा देने और तस्करी में सहायता के लिये जाली प्रमाण-पत्र बनाने, छापने और सरकारी एजेंसियों से मंजूरी तथा आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के लिये जालसाजी करने वाले व्यक्तिके लिये सजा का प्रावधान है।

### नोडल एजेंसी एवं संस्थागत ढाँचा

- राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी वरिधी ब्यूरो की तरह कार्य करेगी। इसके लिये NIA अधिनियम को अलग से संशोधित किया जाएगा।
- यह अधियक अपराध के पारदेशीय स्वभाव से भी व्यापक रूप से निपटता है। इसके लिये राष्ट्रीय तस्करी वरिधी ब्यूरो विदेशी देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अधिकारियों के साथ अंतरराष्ट्रीय तालमेल करेगा, जाँच में अंतरराष्ट्रीय सहायता देगा, साक्ष्यों और सामग्रियों, गवाहों के अंतरराष्ट्रीय सीमापार स्थानांतरण में सहायता देगा और न्यायिक कार्यवाहियों में अंतरराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सहायता देगा।
- NIA को महिलाओं की सुरक्षा के लिये मानव तस्करी की जाँच करने हेतु एक सेल स्थापित करने के लिये नरिभया फंड के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
- यह अधियक ज़िला, राज्य तथा केंद्र स्तर पर समर्पित संस्थागत ढाँचा स्थापित करता है। यह तस्करी की रोकथाम, सुरक्षा जाँच और पुनर्वास कार्य के लिये उत्तरदायी होगा।
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगठित गठजोड़ को तोड़ने के लिये संपत्तिकी कुरकी, जब्ती तथा अपराध से प्राप्त धन को जब्त करने का प्रावधान है।

### संबंधित पक्षों की नजिता

- अधियेक यह सुनिश्चित करता है कि पीड़ितों, गवाहों तथा शिकायत करने वालों की पहचान को गोपनीय रखा जाए। पीड़ितों की गोपनीयता को उनके बयान

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिये दर्ज करके बनाए रखा जाएगा। साथ ही, इससे सीमा पार और अंतरराज्यीय अपराधों से नपिटने में भी मदद मिलेगी।

### पीड़ितों के पुनर्वास और त्वरित सुरक्षा के लिये प्रावधान

- इस अधिनियम में पहली बार पुनर्वास कोष स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है।
- इसका उपयोग पीड़ितों के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक देखभाल के लिये किया जाएगा। इसमें पीड़ितों की शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य देखभाल, मनोवैज्ञानिक सहायता, कानूनी सहायता और सुरक्षा नविस आदि शामिल हैं।
- समयबद्ध अदालती सुनवाई और संज्ञान की तथिसे एक वर्ष की अवधि के अंदर पीड़ितों को वापस अपने मूल स्थान पर भेजा जाएगा।
- पीड़ितों को शारीरिक, मानसिक आघात से नपिटने के लिये 30 दिनों के अन्दर अंतरिम राहत का और चार्जशीट दाखल होने की तथिसे 60 दिनों के अंदर उचित सहायता पाने का अधिकार होगा।
- पीड़ितों का पुनर्वास अभियुक्त के वरिद्ध आपराधिक कार्रवाई शुरू होने या मुकदमे के फैसले पर निर्भर नहीं करेगा।

### वर्षीष अदालतों का गठन

- मुकदमों की तेज़ी से सुनवाई के लिये प्रत्येक ज़िले में वर्षीष अदालतों का गठन किया जाएगा।
- अधिनियम में 10 वर्ष के सश्रम कारावास की न्यूनतम सज़ा से लेकर अधिकतम आजीवन कारावास तथा कम-से-कम एक लाख रुपए के आर्थिक दंड का प्रावधान शामिल किया गया है।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/human-trafficking-bill-2018-approved>